

प्रेस नोट

थाना लंका पुलिस द्वारा दो शातिर चैन स्नेचर मोहम्मद इस्लाम व बाबा सिंह के साथ लूट का माल खरीदने वाले अमित वर्मा को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से लूट के आभूषण व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 30.03.2021 को थाना लंका पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में जंगमपुर हनुमान मन्दिर के पास मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि करौंदी चौराहे के पास दो व्यक्ति लाल रंग के अपाचे गाडी के साथ है जिनका मुह गमछे से बंधा हुआ है किसी चैन स्नैचिंग जैसी घटना को अंजाम देने के फिराक मे है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना लंका पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को एक मोटर साइकिल के साथ उक्त स्थान से मुखबिर की निशानदेही पर पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो मोटर साइकिल चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम **बाबा सिंह पटेल** पुत्र प्रेम चंद्र सिंह पटेल निवासी ग्राम छित्तमपुर थाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कोतवाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली उम्र करीब 27 वर्ष तथा बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम **मोहम्मद इस्लाम** पुत्र स्वर्गीय खलील निवासी प्लांट डिपो रिजेक्ट्रेड रेलवे कॉलोनी हनुमान मंदिर के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन थाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कोतवाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली उम्र करीब 35 वर्ष बताया । अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हमलोग जो समान कई स्थानों से लूट किये है उनसे जो सामान बरामद होता है उसको हम सोनार अमित वर्मा पुत्र श्री अजीत वर्मा निवासी पथरा भाग-2 निकट SG पब्लिक स्कूल रवि नगर कॉलोनी थाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कोतवाली जिला चंदौली उम्र करीब 24 वर्ष को बेचते है को भी अभियुक्तगण के निशानदेही पर अमित वर्मा उपरोक्त को भी गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से लूट के आभूषण व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुआ है। थाना लंका पुलिस द्वारा मोहम्मद इस्लाम व बाबा सिंह को अन्तर्गत धारा 392/411/413/34 व अमित वर्मा उपरोक्त को धारा 411/413/34 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. मोहम्मद इस्लाम पुत्र स्व0 खलील निवासी प्लांट डिपो रिजेक्ट्रेड रेलवे कॉलोनी हनुमान मंदिर के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन थाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कोतवाली जनपद चंदौली उम्र करीब 35 वर्ष

2. बाबा सिंह पटेल पुत्र प्रेम चंद्र सिंह पटेल निवासी ग्राम छित्तमपुर थाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कोतवाली जनपद चंदौली उम्र करीब 27 वर्ष

3. अमित वर्मा पुत्र श्री अजीत वर्मा निवासी पथरा भाग-2 निकट SG पब्लिक स्कूल रवि नगर कॉलोनी थाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कोतवाली जिला चंदौली उम्र करीब 24 वर्ष

पंजीकृत मुकदमा का विवरण

1. मु0अ0सं0 260 /21 धारा 392 भादवि थाना लंका वाराणसी
2. मु0अ0सं0 331/ 21 धारा 392 भादवि थाना लंका वाराणसी ।

अपराधिक इतिहास-

- *अभियुक्त मोहम्मद इस्लाम का आपराधिक इतिहास*

1. मु0अ0सं0 1101/17 धारा 380/411 भादवि थाना मुगलसराय कोतवाली चन्दौली
2. मु0अ0सं0 1038/17 धारा 380/411 भादवि थाना मुगलसराय कोतवाली चन्दौली
3. मु0अ0सं0 1107/17 धारा 411/414 भादवि थाना मुगलसराय कोतवाली चन्दौली
4. मु0अ0सं0 252/19 धारा 379/411 भादवि जीआरपी मुगलसराय चन्दौली
5. मु0अ0सं0 284/19 धारा 379/411 भादवि जीआरपी मुगलसराय चन्दौली
6. मु0अ0सं0 1105/17 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट जीआरपी मुगलसराय चन्दौली

बरामदगी का विवरण

- बरामदगी 03 अदद पीली धातु की लाकेट, 03 जोड़ी पीली धातु का कान का झाला , 01 जोड़ी पीली धातु का कान का टाप्स
- घटना में प्रयुक्त दो पहिया वाहन अपाचे RTR नं0 UP67 Z 7877 ,

*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ०नि० अर्जुन सिंह चौकी प्रभारी चितईपुर, उ०नि० कृष्णमोहन पासवान, उ०नि० श्री प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी नगवा, उ०नि० सुरज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी सुन्दरपुर, उ०नि० शशि प्रताप सिंह, उ०नि० राजकुमार पाण्डेय, हे०का० वकील अहमद खान, का० प्रेम कुमार द्विवेदी, का० रोहित कुमार मौर्या, का० चन्द्र प्रकाश खरवार, का० सुमित सिंह थाना लंका वाराणसी

मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त

वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 30.03.2021 को उ०नि० अभय सिंह चौकी प्रभारी सरायमोहना थाना सारनाथ मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये सूचना प्राप्त हुई कि सलारपुर हरिजन बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर काफी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उक्त सूचना पर थाना सारनाथ पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया तो पाया गया कि लगभग 20 - 22 लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर, चला रहे हैं और एक दूसरे पक्ष को भद्दी-2 गालिया दे रहे हैं। थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आवश्यक पुलिस बल प्रयोग कर माहौल को शान्त कराते हुए मौके से निम्न अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। उक्त के संबंध में थाना सारनाथ में मु०सं०अ०- 156/ 21 धारा 147 /148/149/353/504/506/ 352 भा०द० वि० व 7 सी०एल०ए एक्ट थाना सारनाथ वाराणसी पंजीकृत करते हुए, आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार/अभियुक्तगण का विवरण

1. अनिल कुमार S/O रामनाथ उम्र 20 वर्ष
2. रामनाथ S/O होरीलाल उम्र 40 वर्ष
3. वीरेंद्र S/O छेदीलाल उम्र 21 वर्ष
4. गुलाब S/O स्व० विस्सू हुलिया उम्र 55 वर्ष
5. सिन्दू S/O मंगरू राम उम्र 25 वर्ष
6. दीपक कुमार S/O गुलाब उम्र 21 वर्ष
7. सूजीत कुमार S/O स्व० घूरे उम्र 18 वर्ष
8. काजू S/O गुलाबचन्द्र उम्र 23 वर्ष
9. बबलू S/O स्व० लल्लू उम्र 36 वर्ष
10. शिवकुमार S/O गुलाबचन्द्र उम्र 18 वर्ष

11. मिलन कुमार S/O निखिखडी उम्र 18 वर्ष
 12. राहुल कुमार S/O राजेन्द्र प्रसाद उम्र 18 वर्ष
- समस्त निवासीगण सलारपुर हरिजन बस्ती थाना सारनाथ जनपद वाराणसी

पंजीकृत अभियोग का विवरण

- मु0सं0अ0- 156/ 21धारा147 /148/149/353/504/506/ 352भा0द0वि 0 व 7 सी0एल0ए एक्टथाना सारनाथ वाराणसी ।

गिरफ्तार करने वालीपुलिस टीम का विवरण

- उ0नि 0अभय सिंह चौकी प्रभारी सरायमोहना, उ0नि 0राजीव कुमार सिंह चौकी प्रभारी आशापुर, हे0का 0अरविन्द कुमार, हे0का 0रामजी राम, हे0का 0हरेराम दूबे, कादिनेश यादव 0, काराकेश कुमार 0, कादेवेन्द्र यादव 0, काबांकेलाल 0
॥

मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त

वाराणसी।

प्रेस नोट

थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 175/2021 धारा 147/148/149/354B/302/323/ 504/506 भादवि से संबंधित दो अभियुक्त विशाल महाराज उर्फ विशाल पाण्डेय व नितेश प्रजापति गिरफ्तार

दिनांक 30.03.2021 को थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 29 .03.2021 को ग्राम बराई मे दो पक्षो मे आपस मे मारपीट हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जिसके संबंध में थाना चौबेपुर में मु175 0सं0अ0/147 धारा 2021/148/149/354B/302/ /323 504/506 भादवि पंजीकृत है उससे संबंधित अभियुक्त शाहपुर पेट्रोल पम्प के पास मौजूद है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है। उक्त सूचना पर थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा उक्त स्थान पहुंच कर दो व्यक्तियों को मुखबिर की निशादेही पर पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम विशाल महाराज उर्फ विशाल पाण्डेय पुत्र ज्ञानचन्द पाण्डेय व दूसरे ने अपना नाम नितेश प्रजापति पुत्र प्रेमचन्द उर्फ पराऊ प्रजापति बताया। थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्त को समय करीब 20.30 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ -

अभियुक्त विशाल महाराज उर्फ विशाल पाण्डेय द्वारा पूछताछ में बताया गया कि होलिका दहन के दिन होलिका स्थल पर हम लोगो के द्वारा डीबजाया जा रहा था जिस 0जे0का विरोध मृतक के द्वारा किया गया था। होली के दिन भी मृतक के घर मैं व मेरे साथी रंग लगाने के लिये गये जहां पर मृतक ने रंग लगाने से मना किया तो उक्त बातो एंव चुनावी प्रतिद्वन्दिता को लेकर हम लोगो से मृतक के साथ मारपीट हुई जिसमें उसकी मृत्यु हो गई।

गिरफ्तार अभि गण का0नाम पता -

1. विशाल महाराज उर्फ विशाल पाण्डेय पुत्र ज्ञानचन्द पाण्डेय निवासी ग्राम बराई थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष।
2. नितेश प्रजापति पुत्र प्रेमचन्द उर्फ पराऊ प्रजापति निवासी ग्राम बराई चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग अभियुक्तगण-

- मु175 0सं0अ0/147 धारा 2021/148/149/354B/302/323/504/506 IPC थाना चौबेपुर वाराणसी।

अभियुक्तगण से बरामदगी

- दो अदद ईट, एक शीशम का डण्डा ,एक लोहे की राड व एक बांस का डण्डा खूना लूदा।

***अभियुक्त विशाल पाण्डेय का अपराधिक इतिहास* -**

- 1.मु0239 0सं0अ0/308 धारा 2016/323/325//क354427/452/504/506 भादवि7 व 0/पाक्सो एक्ट थाना चौबेपुर वाराणसी 8।
- 2.मु0अ0सं0380 0/ 2019धारा143 / 341भादविथाना चौबेपुर वाराणसी 0।

***गिरफ्तारी टीम का विवरण:* -**

थानाध्यक्ष राजेश त्रिपाठी, वश्री शेष कुमार शुक्ला 0नि0उ0, काअमृतराज 0 तिवारी, कारोशन त्रिपाठी थाना चौबेपुर वाराणसी 0

मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त

वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 31/03/2021 को व030नि0 जमीलुद्दीन खान मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मु0अ0सं0 535/2020 धारा 498ए,306,34 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ग्राम पतेरवा करसड़ा उनके घर पहुँचे तो घर के बाहर दोनो अभियुक्तगण मौजूद मिले, को पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम दिलीप कुमार पटेल पुत्र रमाशंकर पटेल व रमाशंकर पटेल पुत्र रामबचन पटेल नि0गण पतेरवा करसड़ा थाना रोहनिया जनपद वाराणसी बताया। थाना रोहनिया पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्त को समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

- 1- दिलीप कुमार पटेल पुत्र रमाशंकर पटेल नि0 पतेरवा करसड़ा थाना रोहनिया जनपद वाराणसी
- 2- रमाशंकर पटेल पुत्र रामबचन पटेल नि0 पतेरवा करसड़ा थाना रोहनिया जनपद वाराणसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- व030नि0 जमीलुद्दीन खान, 30नि0 श्री उमेश चन्द्र विश्वकर्मा थाना रोहनिया वाराणसी

मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त

वाराणसी।



कार्यालय

पुलिस

आयुक्त

वाराणसी

संख्या: पीआरओ 186/2021

दिनांक: मार्च, 31/2021

प्रेस नोट

थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-0287/2018 धारा-377/506 भा0द0वि0, 5M/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू चौहान पुत्र शिवनाथ निवासी किरायेदार ठाकुर जी का मकान ईश्वर गंगी नई बस्ती थाना जैतपुरा वाराणसी को मानिट्रिंग सेल व थाना जैतपुरा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 31.03.2021 को मा0 न्यायालय एडीजे पाक्सो प्रथम जनपद वाराणसी द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास व रु0- 41,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त

वाराणसी।

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

ग्रामीण

वाराणसी

संख्या: पीआरओ 186/2021

दिनांक: मार्च, 31/2021

प्रेस नोट

थाना बड़ागांव में पंजीकृत मु0अ0सं0-0228/2013 धारा-323/504/325 भा0द0वि0, 3(1)X SC/ST Act से सम्बन्धित अभियुक्त रामसूरत पटे पुत्र होरी लाल निवासी खरावन चिउटहीया थाना बड़ागांव वाराणसी को मानिट्रिंग सेल व थाना बड़ागांव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 31.03.2021 को मा0 न्यायालय स्पे0 जज SC/ST एक्ट, जनपद वाराणसी द्वारा 3 वर्ष सश्रम कारावास व रु0- 3,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मीडिया सेल

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण

वाराणसी

प्रेस नोट

आज दिनांक 31.03.21 को थाना जैतपुरा के उ०नि० रामसागर गुप्ता मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु०अ०सं० 73/21 धारा-147,149,323,504,506 आईपीसी व 7 सीएलए एक्ट से संबंधित अभियुक्त 1) सादिक उर्फ अन्ना पुत्र हाजी कमरुद्दीन उम्र 30 वर्ष नि० के 55/76 राजापुरा औसानगंज थाना जैतपुरा वाराणसी व 2) वसीम पुत्र मो० असलम उम्र 26 वर्ष नि० के 55/15 राजापुरा औसानगंज थाना जैतपुरा वाराणसी को दबिश देकर म०नं० के 55/76 मो० राजापुरा औसानगंज से समय करीब 13.20 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1- सादिक उर्फ अन्ना पुत्र हाजी कमरुद्दीन उम्र 30 वर्ष नि० के 55/76 राजापुरा औसानगंज थाना जैतपुरा वाराणसी ,
- 2- वसीम पुत्र मो० असलम उम्र 26 वर्ष नि० के 55/15 राजापुरा औसानगंज थाना जैतपुरा वाराणसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- उ०नि० श्री रामसागर गुप्ता, उ०नि० दुर्गेश कुमार यादव, का० उजाला अंसारी, का० संदीप कुमार द्वितीय थाना जैतपुरा वाराणसी

मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त

वाराणसी।